

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (स्पे0)/अलेसे-11/4685-90 दिनांक:- 16.06.2014

आदेश संख्या.....20/2014-15

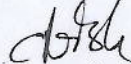
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-1/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों जिन्होंने राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में ~~18~~ वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी. पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम लेखाकार सर्व श्री	मैरिट/ बैच	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	विनोद कुमार मीणा	59/1992spl	01.01.1971	23.01.1995	23.01.2013	
02.	सीताराम मीणा	151/1992spl	01.06.1970	23.01.1995	23.01.2013	
03.	मुरारी लाल मीणा	129/1992spl	01.07.1965	23.01.1995	23.01.2013	

उक्त सहायक लेखाधिकारियों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

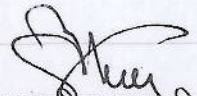
उपरोक्त क्रम संख्या 03 पर उल्लेखित सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


 (वीरबाला जोशी)
 निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (स्पे0)/अलेसे-11/4685-90 दिनांक:- 16.06.2014
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


 (डा0अरविन्द कुमार मिश्रा)
 अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)